दिनांक 31.5.18 को पेश हो

2.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट नाटाणी में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सं. 2072-2075 ग्राम श्योनाथपुरा के भूमि ख.नं. 197/4, 198, 205, 206, 208, 211, 349/213, 374/282 किता - 8 कुल रकबा 24.55 हे. स्थित है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाना चाहते है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रति.नं. 1 से 4, 7 तथा 12 एवं 20 रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रति.नं. 5 से 8 व 13 से 18 के मूलक पिता/पति रिकार्डेड खातेदार है जिनके वारिसान प्रति.नं. 5 से 8 व 13 से 18 वादपत्र में रिकार्ड पर है तथा कदीर टीनेन्ट खातेदार है। उक्त विवेचन के वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि का रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम श्योनाथपुरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 197/4, 198, 205, 206, 208, 211, 349/213, 374/282 किता 8 कुल रकबा 24.55 हे. का वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा के भिजवावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय कैम्प कोर्ट नाटाणी में सुनाया।

Scanned by CamScanner